संख्या-3/2017/971/84-1-16-जागरूकता-1/15

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 16 मार्च, 2017

विषय- भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के प्रदेश में संचालन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-367/निविमावि-8(सा0)उ0जा0का0/2016, दिनॉक 01-12-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 85,00,000/-(रूपये पच्चासी लाख मात्र) को आपके प्रस्ताव के अनुरूप निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करते है -

1- उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु स्वीकृति धनराशि का उपयोग अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि का उपभोग दिनांक 31-3-2017 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

3- नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार वित्त नियंत्रक, आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग/संबंधित के पक्ष में उनके बैक खाते के माध्यम से धनराशि आवंटित करेगें।

4- भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 24.03.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-3475 अन्य समान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनागत-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-05-उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं01/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या-3/2017/971(1)/84-1-16 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार ((लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार ((लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, प्रचार, उपभोक्ता मामले, खा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को पत्र संख्या-22(2)/2014पब, दिनांक 24.03.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
5- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
11- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/उपभोक्ता संरक्षण बांट माप अनु0-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in